संख्या:252/2015/990/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:10 अगस्त,2015

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में शासनादेश संख्या:1323/35-4-2014 दिनांक 28 अक्टूबर,2014 द्वारा **रामपुर शहर की विद्युत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से संबंधित परियोजना** की लागत रू. 9300.91 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 3720.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू.15021.00 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर,2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
3- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य की लागत को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का उपयोग करते हुये नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति शासनादेश में निहित शर्तों की शर्तवार अनुपालन आख्या उपलब्ध होने पर नियमानुसार अवशेष/देय धनराशि अवमुक्त करने पर यथासमय विचार किया जायेगा।
4- उक्त कार्य के पुनरीक्षण के फलस्वरूप पूँजीगत कार्यों की लागत रू. 13916.00 लाख उभर कर आती है, जिस पर 1 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा लागत में से 5 प्रतिशत घटाने के बाद कुल लागत का 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य किया गया है।
5- परियोजना में नियमानुसार सेन्टेज अनुमन्य कराया गया है, इसलिये सृजित होने वाली परिसम्पत्ति को नियमानुसार प्रशासकीय विभाग को हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जायेगी।
6- प्रश्नगत निर्माण कार्य पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।
7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9- पूर्व स्वीकृत शासनादेश की अन्य सुसंगत शर्तें यथावत रहेंगी। ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-939/दस-2015 दिनांक 04 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:252/2015/990(1)/35-4-2015 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
7- मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, रामपुर।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रामपुर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in